

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 793/2024

अनवान :-

1. दलीप कुमार पुत्र घेरुराम जाति नाई निवासी उज्जलयास तहसील नोहर हाल
15 ए ब्लॉक जे पाण्डव नगर मन्दावली जिला पूर्वी दिल्ली।

वादी

बनाम

1. अमीचन्द पुत्र घेरुराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
2. कानाराम पुत्र घेरुराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
3. नरसी पुत्र देईराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
4. नानूराम पुत्र घेरुराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
5. पुष्पा पुत्री देईराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
6. बलराम पुत्र छोटुराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर हाल आबाद खारेका
तहसील व जिला सिरसा हरियाणा
7. भालाराम पुत्र परमन जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
8. महेन्द्र पुत्र मनफुल जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
9. हनुमान चौहान पुत्र रामेश्वर लाल जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
10. हरबंश पुत्र रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
11. राजेन्द कुमार पुत्र धर्मपाल जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर हाल आबाद
खारेका तहसील व जिला सिरसा
12. राजबाला पुत्री देईराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
13. श्यामलाल पुत्र देईराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर हाल आबाद सोनड़ी
तहसील नोहर
14. सुशील पुत्र छोटुराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
15. हरिसिंह पुत्र घेरुराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 29/05/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2074-2077 के खाता सं. 581/550 के प.न. 377/451 मु.न. 112 के किला नं. 15/1 की 0.228 हैक्टर भूमि, किला नं. 15/2 की 0.0250 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 16/1 की 0.228 हैक्टर भूमि, किला नं. 16/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25/1 की 0.227 हैक्टर भूमि, किला नं. 25/2 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. रास्ता, प.न. 378/451 मु.न. 113 के किला नं. 11 ता 25 प्रत्येक की 0.2530 हैक्टर भूमि प.न. 378/452 मु.न. 140 के किला नं. 3 ता 5 प्रत्येक की 0.2530 हैक्टर भूमि प.न. 379/451 मु.न. 114 के किला नं. 11, 12, 19, 20, 21 प्रत्येक की 0.2530 हैक्टर भूमि प.न. 379/452 मु. न. 139 के किला नं. 1, 2 प्रत्येक की 0.2530 हैक्टर भूमि कुल 31 किता की 7.0840 हैक्टर भूमि जिसमे बारानी 7.0080 हैक्टर भूमि, गै.मु. रास्ता 0.0760 हैक्टर भूमि जिसमें वादी का 5903/70840 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 अमीचन्द का 738/8855 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 कानाराम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का 5903/70840 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 देवकी का 3/70 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 नरसी का 1/70 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 नानूराम का 5903/70840 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 पुष्पा का 1/70 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 बलराम का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 भालाराम का 1/10 हिस्सा प्रतिवादी सं. 9 महेन्द्र का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 ता 14 के मृतक पिता व पति रमेश का 5903/70840 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 15 राजेन्द्र कुमार का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 16 राजबाला का 1/70 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 श्यामलाल का 1/70 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 18 सुशील का 1/20 हिस्सा प्रतिवादी सं. 19 हरिसिंह का 738/8855 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है 2. वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं सयुक्त खाता की भूमि होने व सयुक्त काश्त करने में भारी विवाद रहता है तथा लगान व सींव सम्बन्धि विवाद उत्पन्न हो गया है अतः वादी न्यायालय से वाद भूमि का मुताबिक हक व हिस्सा व किस्म भूमि के खाता व लगान तकसीम करवाकर अलग-अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा अलग-अलग निशान देही पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका दर्ज होने से वादी व प्रतिवादीगण का आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं। इसलिए वादी अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के मुताबिक अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 581/550 की कुल 7.0840 हैक्ट भूमि में वादी का नाम दलीप पुत्र घेरूराम की जगह दलीप कुमार पुत्र घेरूराम दर्ज किया जावे व रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 581/550 की कुल 7.0840 हैक्ट भूमि का खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद वादी मुताबिक अनुतोष प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा गोरखाना के ख0न0 53 की 1.644 हैक्ट ख0न0 54 की 0.3790 हैक्ट, ख0न0 57 की 0.9480 हैक्ट ख00 373 की 0.0760 हैक्ट ख0न0 395 की 1.290 हेक्ट, ख0न0 396 की 1.771 हैक्ट

Zalul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ख0न0 438 की 4.034 हैक्ट, ख0न0 473 की 5.311 हैक्ट, ख0न0 474 की 2.555 हैक्ट, ख0न0 476 की 3.705 हैक्ट, ख0न0 482 की 1.290 हैक्ट ख0न0 486 की 4.3250 हैक्ट कुल खसरेजात 12 की 27.3280 हैक्ट भूमि भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 श्यामलाल, नरसी पि0 देईराम उर्फ दयाराम 1/10 हि0, पुष्पा, राजबाला पुत्रीया देईराम उर्फ दयाराम हि0 1/10, बलराम, सुनील पि0 छोटूराम 1/5हि0, भालाराम पुत्र परमन 1/5 हि0, महेन्द्र पुत्र मनफुल 1/5 हि0 राजेन्द्र कुमार पुत्र धर्मपाल 1/5 हि0 जाति नाई सा देह खातेदार रहन भालाराम, महेन्द्र, राजेन्द्र कुमार, हि0 रहन एसबीआई शाखा रामगढ़ उज्जलवास मूर्त — प0न0 377/451 (112) के किला न0 15/1 की 0.228, 15/2 की 0.025, 16/1 की 0.228, 16/2 की 0.025, 25/1 की 0.026, 25/2 की 0.227, 378/451(113) 11 ता 13 की 0.759, 18 ता 20 की 0.759, 14/1 की 0.012, 17/1 की 0.012, 24/1 की 0.012, 21/1 की 0.241, 21/2 की 0.012, 22/1 की 0.241, 22/2 की 0.012, 23/1 की 0.241, 23/2 की 0.012, 378/452 (140) 3 ता 4 की 0.506 कुल कित्ता 23 रकबा 3.578 है गै0मु0 रास्ता — 0.112 है, बारानी प्रथम — 3.466 हैक्ट
- 2 हरिसिंह पुत्र घेरूराम जाति नाई सा0 देह खातेदार— प0न0 378/451 के मु0न0 113 के किला न0 24/2 की 0.012, 24/3 की 0.229, 17/2 की 0.201, 16/1 की 0.068, 25/1 की 0.077 कुल कित्ता 5 रकबा 0.587 हैक्ट बारानी प्रथम— 0.575, गै0मु0 रास्ता— 0.012 हैक्ट
- 3 अमीचन्द पुत्र घेरूराम जाति नाई सा0 देह खातेदार — प0न0 378/451 के मु0न0 113 के प0न0 14/2 की 0.241, 15 की 0.253, 16/2 की 0.041, 17/3 की 0.040 कुल कित्ता 4 रकबा 0.575 हैक्ट
- 4 दलिप कुमार पुत्र घेरूराम जाति नाई सा0 देह खातेदार — प0न0 379/451 के मु0न0 114 के किला न0 11-12 की 0.506, 19/1 की 0.035, 20/1 की 0.034 कुल कित्ता 4 रकबा 0.575 हैक्ट
- 5 हनुमान चौहान, हरसबंसलाल पि0 रामेश्वरलाल जाति नाई सा0 देह खातेदार प0न0 379/451 के मु0न0 114 के किला न0 19/2 की 0.218, 20/2 की 0.001, 20/3 की 0.218, 21/1 की 0.008, 378/451 मु0न0 113 के किला न0 16/3 की 0.018, 16/4 की 0.126, 25/2 की 0.005 कुल कित्ता 7 रकबा 0.594 गै0मु0 रास्ता— 0.019, बारानी प्रथम 0.575
- 6 नानुराम पुत्र घेरूराम जाति नाई सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा रामगढ़ उज्जलवास प0न0 378/452 मु0न0 140 के किला न0 5 की 0.253, 378/451 के मु0न0 113 के किला न0 25/3 की 0.023, 25/4 की 0.148, 349/451 मु0न0 114 के


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किला न० 21/2 की 0.175 कुल किता 6 रकबा 0.599 हैक्ट गै०मु० रास्ता 0.023 बारानी
प्रथम - 0.576 हैक्ट

7 कानाराम पुत्र घेरुराम जाति नाई सा० देह खातेदार - प०न० 379/452 मु०न० 139
किला न० 1-2 की 0.506, 378/451 मु०न० 114 के किला न० 21/3 की 0.070 कुल
किता 3 रकबा 0.576 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का
स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का
हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए
राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन
प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान
अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 29/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 793/2024

अनवान :-

1. दलीप कुमार पुत्र घेरूराम जाति नाई निवासी उज्जलयास तहसील नोहर हाल 15 ए ब्लॉक जे पाण्डव नगर मन्दावली जिला पूर्वी दिल्ली।

वादी

बनाम

1. अमीचन्द पुत्र घेरूराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
2. कानाराम पुत्र घेरूराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
3. नरसी पुत्र देईराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
4. नानूराम पुत्र घेरूराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
5. पुष्पा पुत्री देईराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
6. बलराम पुत्र छोटुराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर हाल आबाद खारेका तहसील व जिला सिरसा हरियाणा
7. भालाराम पुत्र परमन जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
8. महेन्द्र पुत्र मनफुल जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
9. हनुमान चौहान पुत्र रामेश्वर लाल जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
10. हरबंश पुत्र रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
11. राजेन्द्र कुमार पुत्र धर्मपाल जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर हाल आबाद खारेका तहसील व जिला सिरसा
12. राजबाला पुत्री देईराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
13. श्यामलाल पुत्र देईराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर हाल आबाद सोनड़ी तहसील नोहर
14. सुशील पुत्र छोटुराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
15. हरिसिंह पुत्र घेरूराम जाति नाई निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 793 सन 2024 निर्णय दिनांक 29/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा गोरखाना के ख0न0 53 की 1.644 हैक्ट ख0न0 54 की 0.3790 हैक्ट, ख0न0 57 की 0.9480 हैक्ट ख00 373 की 0.0760 हैक्ट ख0न0 395 की 1.290 हैक्ट, ख0न0 396 की 1.771 हैक्ट ख0न0 438 की 4.034 हैक्ट, ख0न0 473 की 5.311 हैक्ट, ख0न0 474 की 2.555 हैक्ट, ख0न0 476 की 3.705 हैक्ट, ख0न0 482 की 1.290 हैक्ट ख0न0 486 की 4.3250 हैक्ट कुल खसरेजात 12 की 27.3280 हैक्ट भूमि भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


1. श्यामलाल, नरसी पि0 देईराम उर्फ दयाराम 1/10 हि0, पुष्पा, राजबाला पुत्रीया देईराम उर्फ दयाराम हि0 1/10, बलराम, सुनील पि0 छोटूराम 1/5 हि0, भालाराम पुत्र परमन 1/5 हि0, महेन्द्र पुत्र मनफुल 1/5 हि0 राजेन्द्र कुमार पुत्र धर्मपाल 1/5 हि0 जाति नाई सा देह खातेदार रहन भालाराम, महेन्द्र, राजेन्द्र कुमार, हि0 रहन एसबीआई शाखा रामगढ़ उज्जलवास मूर्त - प0न0 377/451 (112) के किला न0 15/1 की 0.228, 15/2 की 0.025, 16/1 की 0.228, 16/2 की 0.025, 25/1 की 0.026, 25/2 की 0.227, 378/451(113) 11 ता 13 की 0.759, 18 ता 20 की 0.759, 14/1 की 0.012, 17/1 की 0.012, 24/1 की 0.012, 21/1 की 0.241, 21/2 की 0.012, 22/1 की 0.241, 22/2 की 0.012, 23/1 की 0.241, 23/2 की 0.012, 378/452 (140) 3 ता 4 की 0.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Lahul

- 506 कुल किता 23 रकबा 3.578 है गै0मु0 रास्ता - 0.112 है, बारानी प्रथम - 3.466 हैक्ट
- 2 हरिसिंह पुत्र घेरुराम जाति नाई सा0 देह खातेदार- प0न0 378/451 के मु0न0 113 के किला न0 24/2 की 0.012, 24/3 की 0.229, 17/2 की 0.201, 16/1 की 0.068, 25/1 की 0.077 कुल किता 5 रकबा 0.587 हैक्ट बारानी प्रथम- 0.575, गै0मु0 रास्ता- 0.012 हैक्ट
 - 3 अमीचन्द पुत्र घेरुराम जाति नाई सा0 देह खातेदार - प0न0 378/451 के मु0न0 113 के प0न0 14/2 की 0.241, 15 की 0.253, 16/2 की 0.041, 17/3 की 0.040 कुल किता 4 रकबा 0.575 हैक्ट
 - 4 दलिप कुमार पुत्र घेरुराम जाति नाई सा0 देह खातेदार - प0न0 379/451 के मु0न0 114 के किला न0 11-12 की 0.506, 19/1 की 0.035, 20/1 की 0.034 कुल किता 4 रकबा 0.575 हैक्ट
 - 5 हनुमान चौहान, हरसबंसलाल पि0 रामेश्वरलाल जाति नाई सा0 देह खातेदार प0न0 379/451 के मु0न0 114 के किला न0 19/2 की 0.218, 20/2 की 0.001, 20/3 की 0.218, 21/1 की 0.008, 378/451 मु0न0 113 के किला न0 16/3 की 0.018, 16/4 की 0.126, 25/2 की 0.005 कुल किता 7 रकबा 0.594 गै0मु0 रास्ता- 0.019, बारानी प्रथम 0.575
 - 6 नानुराम पुत्र घेरुराम जाति नाई सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा रामगढ़ उज्जलवास प0न0 378/452 मु0न0 140 के किला न0 5 की 0.253, 378/451 के मु0न0 113 के किला न0 25/3 की 0.023, 25/4 की 0.148, 349/451 मु0न0 114 के किला न0 21/2 की 0.175 कुल किता 6 रकबा 0.599 हैक्ट गै0मु0 रास्ता 0.023 बारानी प्रथम - 0.576 हैक्ट
 - 7 कानाराम पुत्र घेरुराम जाति नाई सा0 देह खातेदार - प0न0 379/452 मु0न0 139 किला न0 1-2 की 0.506, 378/451 मु0न0 114 के किला न0 21/3 की 0.070 कुल किता 3 रकबा 0.576 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर